न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–V, हिलसा (नालंदा)।

पीठासीन पदाधिकारी :– संजीव कुमार राय

ए0बी0पी0– 259 / 2026

(चण्डी थाना कांड संख्या– 59 / 2026)

शिबालक यादव एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार।

Date of Order	Order with the signature of the Court	Office action taken
07.05.2026	आवेदकगण 1. शिबालक यादव 2. कौशल यादव 3. रिन्कु देवी की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन पत्र जो धारा– 137(2), 140(4), 3(5) बी0 एन0 एस0 के तहत चण्डी थाना कांड संख्या– 59 / 2026 के संबंध में दाखिल किया गया है, जिस पर दोनों पक्षों को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि इस केस में प्रार्थीगण की ओर से न तो अग्रिम और न नियमित जमानत आवेदन न इस न्यायालय में और न माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है। प्रार्थी सं0– 1 का एक आपराधिक इतिहास है– चण्डी थाना काण्ड सं0– 112 / 16 जिसमें वो जमानत पर है अन्य प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण प्राथमिकी अभियुक्त हैं। धारा– 137, 140(2) बी0 एन0 एस0 जमानतीय है और इस केस में लागु नहीं होती है। सह–अभियुक्त गौरव कुमार के संबंधी होने के कारण प्रार्थीगण का नाम केस में आया है। अपहरण का मुख्य आरोप सह–अभियुक्त गौरव कुमार पर है जो प्रार्थी नहीं है। प्राथमिकी काफी देर से दर्ज की गई है। प्रार्थी सं0– 2 कौशल यादव बाढ़ में रहता है और वो घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था। प्रार्थी सं0– 3 को बेवजह फंसाया गया है सच्चाई कुछ नहीं है। अपहृत लड़की का अभिलेख में नाबालिग का कोई सबूत नहीं दिया गया है। आवेदक 482(2) बी0एन0एस0एस0 के तहत निर्धारित शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है। अतः आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाय। विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध नहीं करते हैं। सुना। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि दिनांक 16.01.2026 को लगभग शाम 1:30 बजे सुचक की नाबालिग पुत्री जुली कुमारी को रिंकु देवी ने बुलाया था, वो उसके साथ गयी थी लेकिन जब वो काफी देर तक घर नहीं लौटी तो रिंकु देवी के घर सुचक गये और पूछा कि उनकी बेटी कहाँ है, जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो 7 दिनों तक सुचक ने अपनी पुत्री को खोजा फिर भी नहीं मिली तो दिनांक 23.01.2026 को सुचक, उसकी पत्नी और उसके परिवार के लोग शिवालक यादव के घर जाकर जुली कुमारी के बारे में पूछा तो शिबालक और उसका पुत्र कौशल यादव एवं उसकी पत्नी रिंकू देवी बोले की 10 लाख रूपया दोगे तब तुम्हारी पुत्री को वापस लाकर देंगे जब सुचक ने 10 लाख रू0 देने से मना किया तो गाली गलौज और जान मारने की धमकी मिली उसके बाद सुचक ने गौरव कुमार के विरूद्ध सुचक की पुत्री के साथ अवैध संबंध के इरादे से अपहरण का केस दर्ज कराया। सुना। कांड दैनिकी एवं अभिलेख का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि काण्ड दैनिकी के पारा 23 के अनुसार आवेदक सं0– 1 का दो आपराधिक इतिहास है अन्य का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। पीड़िता के अपहरण करनेवाले के	

लगातार...

प्रार्थीगण भाई और माता–पिता हैं। प्रार्थीगण के विरूद्ध पीड़िता को वापस करने के लिए पैसा मांगने एवं गाली देने का सामान्य आरोप है।

अतः आवेदकों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को तद्नुसार **स्वीकृत** करते हुए निर्देश दिया जाता है कि आदेश की तिथि से चार सप्ताह के अंदर आवेदकगण के गिरफ्तार होने या न्यायालय में आत्मसमर्पण किये जाने पर उसे 10,000 रूपये के दो समान प्रतिभू के साथ बंध पत्र निष्पादित किये जाने पर न्यायालय की संतुष्टी पर धारा– 482(2) बी0एन0एस0एस0 शर्तों के अधिन जमानत पर मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है।

(लेखापित)

अपर सत्र न्यायाधीश–V,
हिलसा (नालंदा)।

Date of Order	07.05.2026
Date of Reserving Order	
Uploading date	12.05.2026
Uploaded by	R. R. Prasad (D.E.O.)